



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06112025-267403
CG-DL-E-06112025-267403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4840]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4840]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4995(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1264 तारीख 19/03/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में NH-352W के कि.मी. 0 से कि.मी.45 (मिनी सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "07/05/2025 " को "आज समाज" और "द हिन्दू" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में NH-352W के कि.मी. 0 से कि.मी.45 (मिनी सेक्रेटेरिएट गुरुग्राम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

| राज्य का नाम: हरियाणा | | | जिले का नाम: गुरुग्राम | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तालुक का नाम: फरुखनगर | | | | | |
| गांव का नाम: ताजनगर | | | | | |
| 1 | 65 | सामान्य (ग्राम पंचायत) | गै.मु रास्ता | 0.3086 | ग्राम पंचायत 65 |
| Total | | | | 0.3086 | |

[फा. सं. PIU/EC08/07/04/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4995(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1264 Dated:19/03/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-352W in the stretch of land from Km. 0 to Km. 45 (Mini Secretariat Gurugram) in the district of Gurugram in the state of HARYANA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Aaj Samaaj” and “The Hindu” both dated 07/05/2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-352W in the stretch of land from Km. 0 to Km. 45 (Mini Secretariat Gurugram) in the district of Gurugram in the state of HARYANA

| State: HARYANA | | | District: Gurugram | | |
|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Sl. No. | Survey/Plot Number | Type of Land | Nature of Land | Area (in Hectares) | Name of Land Owner/Interested Person |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Taluk: Farrukhnagar | | | | | |
| Village: Tajnagar | | | | | |
| 1 | 65 | Common (Gram Panchayat) | G.M Rasta | 0.3086 | Gram Panchayat 65 |
| Total | | | | 0.3086 | |

[F. No. PIU/EC08/07/04/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director